जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी,
आर०टी०ई०, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०–1 डोरण्डा परिसर, राँची-834002
☏ 0651-2490065(Office), Fax-2490064
Email-rteranchi@gmail.com, Website : www.dseranchi.com

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

पत्रांक..............................

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी आर०टी०ई०, राँची जिला।

सेवा में,

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा, झारखंड, राँची।

राँची, दिनांक........................

विषयः दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेल टाउनशीप, राँची को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम क तहत मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन के अग्रसरण के संबंध में।

प्रसंगः अवर विद्यालय निरीक्षक, राँची–2 के दिनांक 12.05.2017 का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेल टाउन शीप, राँची से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालय को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन को अग्रेतर कार्रवाई / आदेश हेतु भवदीय सेवा में भेजी जाती है, जो अन्य शर्तो के अतिरिक्त निम्न शर्त अन्तर्गत है–

1. विद्यालय एंव उससे संबंधित भूमि का सही–सही विवरण उपलब्ध कराने / अभिलेख संधारण / उसके नियमानुकूल अथवा वैधानिक रूप से क्रय / हस्तांतरण / प्राप्ति की पूरी–पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय एवं उसकी सोसाईटी की है एवं होगी, अतएव यदि भविष्य में इससे संबंधित कोई विवाद / वाद / माननीय न्यायालय वाद / अपराधिक वाद उत्पन्न होता है तो विभाग / सरकार / जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। इसकी पूरी–पूरी जवाबदेही संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति एवं उसकी सोसाईटी की होगी।

विश्वासभाजन,
ह०
जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी आर०टी०ई०, राँची जिला
राँची।

ज्ञापांक : 699 राँची, दिनांक 04/08/18

प्रतिलिपिः प्राचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेल टाउन शीप, राँची को सूचनार्थ

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी आर०टी०ई०, राँची जिला
राँची।

Scanned with CamScanner